

नोटिस

भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार

पंत भवन, चतुर्थ तल्ला, पटना-800015

(अपील अधिकारिता)

अपील सं०-.....05.....वर्ष.....2019.....

.....अग्रणी होम्स प्रा० लि०अपीलार्थी

बनाम्

.....श्री बालमुकुन्द प्रसाद.....प्रत्यार्थी

सेवा में,

श्री आलोक कुमार

प्रबंध निदेशक

अग्रणी होम्स प्रा० लि०

मकान नं० 15, वार्ड नं० 1FA


पाटलीपुत्र कॉलोनी,

पटना-800013

आपको नोटिस दी जाती है कि आप दिनांक-15.06.2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में कारण दिखायें कि आपके द्वारा अभी तक माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 17.02.2020 को पारित आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है एवं क्यों नहीं भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 64 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशानुसार,

दिनांक-.....



निबंधक

भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण